संख्या: 61 /2025/ 63 /चार-2025-1687510

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन,लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक: 10 फरवरी, 2025

विषय: जनपद रायबरेली मे अवध केसरी राना बेनी माधव बक्श सिंह की स्मृति में सभागार, पुस्तकालय आदि के निर्माण की परियोजना हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 3948/सं0नि0-6(158)/2021-22 दिनांक 03 जनवरी, 2025 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या- 271 /2023/3673 /चार-2023 दिनांक 13 सितम्बर, 2023 द्वारा जनपद रायबरेली मे अवध केसरी राना बेनी माधव बक्श सिंह की स्मृति में सभागार, पुस्तकालय आदि के निर्माण की परियोजना हेतु रू0 2127.87 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष अब तक इस परियोजना हेतु रू0 849.95 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2. उपर्युक्त के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद रायबरेली मे अवध केसरी राना बेनी माधव बक्श सिंह की स्मृति में सभागार, पुस्तकालय आदि के निर्माण की परियोजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 485.67 लाख (रू0 चार करोड़ पचासी लाख सड़सठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त किये जाने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) शासनादेश संख्या- 166/2022/1718/चार-2022 दिनांक 23 अगस्त, 2022, शासनादेश संख्या- 257/2023/ 1910/चार-2023 दिनांक 17 अगस्त, 2023, शासनादेश संख्या- 271 /2023/3673 /चार-2023 दिनांक 13 सितम्बर, 2023 तथा शासनादेश संख्या- 357 /2023/7579 /चार-2023 दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृति संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के संबंध में वित्त विभाग के मितव्ययिता संबंधी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के संबंध में निर्गत शासनादेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(6) कार्यदायी संस्था द्वारा जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी से अब तक हुए कार्य की हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रति शासन एवं संस्कृति निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

(7) धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था- उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 के बैंक खाते में उपलब्ध करायी जायेगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,85,67,000/- (रुपये चार करोड़ पचासी लाख सड़सठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखा शीर्षक** 4202048000300 प्रेक्षागृह / खुला मंच का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या- 61 /2025/ 63 (1) /चार-2025-1687510 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, रायबरेली, उ0प्र0।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- महाप्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।